रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31102026-277567
CG-DL-E-31102026-277567

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 330] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 28, 2026/कार्तिक 6, 1948
No. 330] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 28, 2026/KARTIKA 6, 1948

वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 2026

विषय: वस्त्रों हेतु उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना में आंशिक संशोधन।

फा. सं. 12014/01/2024-MMF(Part-I).— मंत्रालय की दिनांक 24.09.2021 की अधिसूचना संख्या 12015/03/2020-आईटी और समय-समय पर जारी संशोधनों के क्रम में, योजना के कार्यान्वयन के दौरान आने वाली वास्तविक कठिनाइयों के समाधान हेतु, निम्नलिखित संशोधनों/अतिरिक्त प्रावधानों को एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है:-

1. **योजना का क्षेत्र और प्रोत्साहन (केवल चौथे चरण के आवेदकों के लिए)**

1.1 योजना भाग–I कोई भी व्यक्ति जो अधिसूचित लाइनों के उत्पाद उत्पादित करने के लिए संयंत्र, मशीनरी, उपकरण तथा सिविल कार्यों (भूमि तथा प्रशासनिक निर्माण लागत को छोड़कर) में न्यूनतम **150 करोड़ रुपए** निवेश करने के लिए इच्छुक फर्म/कंपनी को शामिल करता है, वह योजना के इस भाग में भागीदारी हेतु आवेदन करने के लिए पात्र होगा। इस योजना के तहत ऐसी कंपनी अधिसूचित उत्पादों के विनिर्माण और बिक्री से न्यूनतम **600 करोड़ रुपये** का टर्नओवर करने पर प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र होगी। इस प्रकार, प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए, न्यूनतम निवेश और न्यूनतम कारोबार दोनों की शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए। निष्पादन वर्ष 1 के लिए, एमएमएफ और तकनीकी वस्त्रों की

अधिसूचित लाइनों में अपेक्षित टर्नओवर प्राप्त करने पर टर्नओवर का 15% प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इसके बाद के वर्षों में प्रोत्साहन वर्ष 5 तक इसके पिछले वर्ष के टर्नओवर की तुलना में न्यूनतम 10% अतिरिक्त वृद्धिशील टर्नओवर प्राप्त करने पर प्रदान किया जाएगा। तथापि, वर्ष 2 से वर्ष 5 तक प्रत्येक वर्ष प्रोत्साहन की दर में 1% की कमी की जाएगी, अर्थात वर्ष 5 में प्रोत्साहन की दर 11% होगी। केवल उन्हीं बिक्री को गिना जाएगा, जो सामान्य बैंकिंग माध्यम से की गई हैं।

1.2 योजना भाग–II कोई भी व्यक्ति जो अधिसूचित लाइनों के उत्पाद उत्पादित करने के लिए संयंत्र, मशीनरी, उपकरण तथा सिविल कार्यों (भूमि तथा प्रशासनिक निर्माण लागत को छोड़कर) में न्यूनतम **50 करोड़ रुपए** निवेश करने के लिए इच्छुक फर्म/कंपनी को शामिल करता है, वह योजना के इस भाग में भागीदारी हेतु आवेदन करने के लिए पात्र होगा। इस योजना के तहत ऐसी कंपनी इस योजना के तहत अधिसूचित उत्पादों के विनिर्माण और बिक्री से न्यूनतम **100 करोड़ रुपये** का टर्नओवर करने पर प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र होगी। अत:, प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए, न्यूनतम निवेश और न्यूनतम कारोबार दोनों की शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होगा। निष्पादन वर्ष 1 के लिए, एमएमएफ और तकनीकी वस्त्रों की अधिसूचित लाइनों में अपेक्षित टर्नओवर प्राप्त करने पर टर्नओवर का 11% प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इसके बाद के वर्षों में प्रोत्साहन वर्ष 5 तक उसके पिछले वर्ष के टर्नओवर की तुलना में न्यूनतम 10% अतिरिक्त वृद्धिशील टर्नओवर प्राप्त करने पर प्रदान किया जाएगा। तथापि, वर्ष 2 से वर्ष 5 तक प्रत्येक वर्ष प्रोत्साहन की दर में 1% की कमी की जाएगी, अर्थात वर्ष 5 में प्रोत्साहन की दर 7% होगी। केवल उन्हीं बिक्री को शामिल किया जाएगा, जो सामान्य बैंकिंग माध्यम से की गई हैं।

2. योजना के दोनों भागों के लिए कुछ अन्य सामान्य शर्तें:

(क) योजना की मौजूदा प्रतिभागी कंपनियों का चरण 4 में स्थानांतरण: योजना के किसी भी भाग में चरण 1, 2 और 3 की सभी मौजूदा प्रतिभागी कंपनियां, जिन्होंने अब तक किसी भी प्रोत्साहन का दावा नहीं किया है या प्राप्त नहीं किया है, वे भी चरण 4 के तहत आवेदन करने के लिए पात्र हैं, जोकि जहां लागू हो, चरण 1, 2 और 3 के तहत उनके मौजूदा आवेदनों की वापसी के अध्यधीन है।

(ख) चरण 4 में स्थानांतरण का विकल्प चुनने वाले आवेदकों द्वारा पहले ही किए जा चुके पात्र निवेश का निर्धारण।

I. जो आवेदक कंपनियां 'चरण 4' में जाने का विकल्प चुनती हैं, उनके द्वारा दिनांक 24.09.2021(योजना के आरंभ की तिथि) से 31.03.2026 तक किए गए निवेश को, इस योजना के तहत पात्र निवेश की गणना के लिए उसकी वास्तविक लागत पर माना जाएगा बशर्ते यह है कि आवेदक कंपनी ने उस निवेश से उत्पादन या टर्नओवर शुरू न किया हो। तथापि, यदि आवेदक ने उत्पादन या टर्नओवर शुरू कर दिया है, तो लेखा पुस्तकों में कैपिटलाइज की गई परिसंपत्ति (परिसंपत्तियों) पर 01.04.2026 से 31.03.2027 तक मूल्यह्रास लगाया जाएगा।

II. मूल्यह्रास की दर 'कंपनी अधिनियम 2013' के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

III. इस पैराग्राफ में निहित कोई भी प्रावधान योजना के चरण 4 के तहत आवेदन करने वाले किसी नए आवेदक पर लागू नहीं होगा।

3. योजना अवधि

चरण 4 के प्रतिभागियों के लिए, यह योजना वित्त वर्ष 2033-34 तक लागू रहेगी; इसमें वित्त वर्ष 2032-33 अंतिम निष्पादन वर्ष होगा और वित्त वर्ष 2033-34 इस योजना के तहत प्रोत्साहन का दावा करने का अंतिम वर्ष होगा।

4. योजना कार्यान्वयन का फ्रैमवर्क:

योजना भाग-1 और भाग-2

वर्ष	जेस्टेशन अवधि	निष्पादन वर्ष	प्रोत्साहन दावा वर्ष
*	वित वर्ष 2026-2027		
*	वित वर्ष 2027-2028		
1		वित वर्ष 2028-2029	वित वर्ष 2029-2030
2		वित वर्ष 2029-2030	वित वर्ष 2030-2031
3		वित वर्ष 2030-2031	वित वर्ष 2031-2032
4		वित वर्ष 2031-2032	वित वर्ष 2032-2033
5		वित वर्ष 2032-2033	वित वर्ष 2033-2034

5. योजना दिशानिर्देश:

उपरोक्त परिवर्तनों को शामिल करते हुए विस्तृत परिचालन दिशानिर्देश यथासमय जारी किए जाएंगे।

6. प्रभाव:

यह अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू होगी।

मनीषा चटर्जी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th October, 2026

Subject: Partial modification of the Production Linked Incentive (PLI) Scheme for Textiles.

F. No. 12014/01/2024-MMF(Part-I).— In continuation to this Ministry's Notifications No. 12015/03/2020-IT dated 24.09.2021 and amendments issued from time to time, the following amendments/addition are hereby notified to address the genuine hardships arising during the course of implementation of the Scheme:-

1. SCHEME SEGMENTS AND INCENTIVES (For Round 4 applicants only)

1.1 Scheme Part -I: Any person, which includes firm/company willing to invest a minimum of **Rs.150 crore** in Plant & Machinery, Equipment and Civil Works (excluding land and administrative building cost) to produce products of notified lines, shall be eligible to apply for participation in this part of the scheme. Such company under the Scheme will be eligible to get incentive when they achieve a minimum of **Rs.600 crore** turnover by manufacturing and selling the products notified under this scheme. Thus, for getting incentives, both the conditions of minimum investment and minimum turnover should be met. For Performance Year 1, a 15% incentive on turnover will be provided on attaining required turnover in the notified lines of MMF and Technical Textiles. Incentive in the subsequent years will be provided on achieving a minimum additional incremental turnover of 10% over the immediate preceding year's turnover upto year 5. However, the incentive will be reduced by 1% every year from year

2 onward till the year 5 i.e. 11% in the year 5. Only such sales will be counted, which are transacted through normal banking channel.

1.2 Scheme Part -II: Any person, which includes firm/company willing to invest a minimum of **Rs.50 crore** in Plant & Machinery, Equipment and Civil Works (excluding land and administrative building cost) to produce products of notified lines, shall be eligible to apply for participation in this part of the scheme. Such company under the Scheme will be eligible to get incentive when they achieve a minimum of **Rs.100 crore** turnover by manufacturing and selling the products notified under this scheme. Thus, for getting incentives, both the conditions of minimum investment and minimum turnover should be met. For Performance Year 1, an 11% incentive on turnover will be provided on attaining required turnover in the notified lines of MMF and Technical Textiles. Incentive in the subsequent years will be provided on achieving a minimum additional incremental turnover of 10% over the immediate preceding year's turnover upto year 5. However, the incentive will be reduced by 1% every year from year 2 onward till the year 5 i.e. 7% in the year 5. Only such sales will be counted, which are transacted through normal banking channel.

2. Additional Common Conditions for both parts of Scheme:

(a) Migration of Existing Participant Companies of the Scheme to Round 4: All existing participant companies of Round 1, 2 & 3, in any part of the Scheme, that have not claimed or received any incentive so far, are also eligible to apply under Round 4, subject to withdrawal of their existing applications under Round 1, 2 and 3, as applicable.

(b) Treatment of eligible investment already made by applicants, opting for migration to Round 4.

I. **For applicant companies opting to migrate to Round 4, investment made from 24.09.2021 (date of inception of scheme) to 31.03.2026,** will be considered at its actual cost for the purpose of calculating eligible investment under the Scheme, subject to the condition that the applicant company has not commenced production/turnover from such investment. However, if the applicant has commenced production/turnover, the asset(s) capitalized will be charged depreciation from 01.04.2026 to 31.03.2027.

II. Rate of deprecation shall be taken as per the provisions of The Companies Act 2013.

III. Nothing contained in this paragraph shall apply to a new applicant applying under Round 4 of the Scheme.

3. SCHEME DURATION

For Round 4 participants, the Scheme will be valid upto FY 2033-34, with FY 2032-33 being the last performance year and FY 2033-34 being the last incentive claim year under the scheme.

4. FRAMEWORK OF THE SCHEME IMPLEMENTATION:

Scheme Part-1 & Part - 2

Year	Gestation Period	Performance year	Incentives claim year
*	FY 2026-2027		
*	FY 2027-2028		
1		FY 2028-2029	FY 2029-2030
2		FY 2029-2030	FY 2030-2031
3		FY 2030-2031	FY 2031-2032
4		FY 2031-2032	FY 2032-2033
5		FY 2032-2033	FY 2033-2034

5. SCHEME GUIDELINES:

Detailed operational guidelines incorporating the above changes will be issued in due course.

6. EFFECT:

This notification shall come into force from the date of its issuance.

MANISHA CHATTERJEE, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA